संख्या-**426**/2023/2367/41-2023-05(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक **10** मई**,** 2023

विषय:- **जनपद मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराये जाने हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4567/6-1-1-(कार्यदायी संस्था)/ब्र0ती0वि0प0 /2021**,** दिनांक 12-11-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराये जाने हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन परिपथों के समन्वित एवं सुनियोजित पर्यटन विकास हेतु अनेक कार्य कराये जा रहे हैं। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश सरकार से बजट व्यवस्था के माध्यम से प्रति वर्ष धनराशि प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी स्वदेश दर्शन स्कीम एवं प्रसाद स्कीम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होती है।

3. पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 100 करोड़, वर्ष 2019-20 में रू0 125 करोड़ , वर्ष 2020-21 में रू0 51.70 करोड़, वर्ष 2021-22 में रू0 55 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में रू0 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की प्रथम बोर्ड बैठक जून, 2018, द्वितीय बोर्ड बैठक जुलाई, 2020 , तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 14-02-2021, चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28-12-2021 तथा पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 07.06.2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई हैं।

4. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अन्तर्गत ब्रज क्षेत्र के विकास से संबंधित लगभग रू0 331.70 करोड़ की 100 योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्यान्वित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 07-06-2018 के मद संख्या-02/01 में परिषद द्वारा मथुरा तीर्थ विकास परिषद के कार्यों को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण से कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। द्वितीय बोर्ड बैठक दिनांक 11-07-2019 को सम्पन्न हुई, जिसके मद संख्या-02/01 में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कराये जा रहे कार्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया। तृतीय बोर्ड बैठक दिनांक 14-02-2021 को सम्पन्न हुई, जिसके मद संख्या-09/03 में मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था घोषित कराने हेतु प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मथुरा में प्राधिकरण द्वारा केन्द्र पोषित एवं विश्व बैक पोषित योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की लगभग समस्त परियोजनाओं को तैयार कराये जाने एवं स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की ही है।

5. प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के द्वारा नामित/स्वीकृत कार्यदायी संस्थाओं तथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, सी0एण्ड0डी0एस0 (जल निगम) तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि प्राय: इन कार्यदायी संस्थाओं के पास पूर्व से ही कई विभागों के अनेक कार्य होते हैं, जिसके कारण इनके पास विविध कार्यों की अधिकता रहती है और इनके द्वारा पर्यटन विभाग के कार्यों को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित करने में कठिनाई होती है। इस कारण अधिकतर पर्यटन विभाग की योजनायें निर्धारित टाईमलाईन के अनुरूप पूर्ण नहीं हो पाती हैं।

6. पर्यटन की सम्भावनायें ग्रामीण एवं नगरीय, दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। परन्तु प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से काफी नगरीय क्षेत्र में ही अवस्थित हैं। नगरीय क्षेत्र में पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यह भूमि प्राय: विकास प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों के पास उपलब्ध रहती है। प्राधिकरण एवं नगर निगम की भूमि पर अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य कराने में कठिनाई होती है। इसलिए विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्य कराने में सुगमता होगी तथा समय की बचत भी होगी। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरणों के पास निर्माण/योजनाओं को लागू करने के लिए पहले से ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर्याप्त तकनीकी स्टाफ उपलब्ध रहता है और पर्यटन कार्यों को सम्पादित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी।

7. पर्यटन विभाग द्वारा विगत कई दशकों से अनेक पर्यटन परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव एक महत्वपूर्ण विषय होता है। विकसित सभी पर्यटन परियोजनाओं/सुविधाओं का संचालन ग्राम-पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, मंदिर समिति तथा विकास प्राधिकरणों आदि के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अन्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये गये कार्यों/परियोजनाओं को प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के समय कठिनाई होती है। विकास प्राधिकरण के स्वंय कार्यदायी संस्था होने से इस प्रकार की कठिनाई नही होगी।

8. उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के पत्र संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस-20165-1074/2012, दिनांक 08-09-2015 के द्वारा अन्य विभागों के साथ-साथ आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश कार्यदायी संस्था नामित है, परन्तु प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित नहीं किया गया है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, योजना भवन द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जा रहे आगणनों के मूल्यांकन/परीक्षण के दौरान यह आपत्ति की गई है कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित नहीं किया गया है। पर्यटन अनुभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-329/2021/1631/41-2021-05(सा0)/2021, दिनांक 17-06-2021 द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास संबंधी कार्यों हेतु उक्त महानगरों में स्थित सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसी प्रकार पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या-265/2022/आई/158943/41-1099/19/2021-22(सा0)/2021, दिनांक 25-04-2022 द्वारा पर्यटन विभाग के अधीन रू0 10.00 करोड़ तक की लागत के अंतर्गत पर्यटन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में अधिकृत किया गया है।

अतएव जनपद मथुरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्यों को कराये जाने हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को भी कार्यदायी संस्था घोषित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

9. मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग रू0 331.70 करोड़ तक की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने पर कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किये गये आडिट में प्राधिकरण द्वारा सेन्टेज का चार्ज न लिए जाने पर आडिट आपत्ति की गई है। कार्यदायी संस्था के रूप में कराये जा रहे कार्यों पर प्राधिकरण को सेन्टेज चार्ज नहीं मिल रहा है, जबकि प्राधिकरण द्वारा अपने स्त्रोतों से स्टाफ के वेतन एवं अन्य मदों पर धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समय-समय पर आवश्यक व्यय किये जाते हैं। लेखा मैनुअल व आडिट आपत्ति की दृष्टि से भी मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था घोषित किया जाना आवश्यक है।

10. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराये जाने हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 12.05.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विकास से संबंधित सभी लागतों के कार्यों की कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण ही रहेगी।

(2) गत कुछ माहों में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के क्षेत्रान्तर्गत जो कार्य अन्य कार्यदायी संस्थाओं को दे दिए गए हैं, वे भी तत्काल मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित किए जाएं।

(3) मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 के अनुसार सेन्टेज की दर अधिकतम 6.875 प्रतिशत अथवा पर्यटन विभाग के साथ किये गये निगोशिएशन एवं प्राप्त सहमति के क्रम में प्राप्त दर जो न्यूनतम हो, देय होगी।

(4) प्रकरण में अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

11. उक्त निर्णय का क्रियान्वयन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन **किया जायेगा** -:

(1) मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र, पर्यटन सम्बन्धी विकास कार्यों हेतु उनकी अधिसूचित अधिकारिता क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

(2) मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण पर्यटन सम्बन्धी विकास कार्यों को उनकी क्षमता एवं विशेषज्ञता वाली प्रकृति के कार्यों तक सीमित रखा जायेगा। जल सम्भरण, जलापूर्ति/सीवरेज, वृक्षारोपण आदि विशिष्ट प्रकृति के कार्यों हेतु चिन्हित शासकीय कार्यदायी संस्थाओं यथा –जल निगम, वन विभाग आदि के द्वारा कराया जायेगा।

(3) मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनाक 11-11-2014 के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेन्टेज की दर अधिकतम 6.875 प्रतिशत अथवा पर्यटन विभाग के साथ किये गये निगोशिएशन एंव प्राप्त सहमति के क्रम में प्राप्त दर जो न्यूनतम हो, देय होगी।

(4) कार्यदायी संस्थाओं के संबंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-5/2015/ई-8-1092/दस-2015-1074/2012, दिनांक 8-9-2015 के प्रावधान यथावत् लागू रहेंगें।

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0।
5. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   वित्त विभाग /न्याय विभाग/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मण्डलायुक्त, आगरा।
8. जिलाधिकारी, मथुरा।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
10. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, पर्यटन आगरा।
13. उप निदेशक (प्रशासन) पर्यटन, निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in